

हुकम या कार्यावाही मस इतिशिरसस अउ

तमबर व तारीख अहवाम  
औ हुस हुकम वही तामील  
में जारी हुए।

2/11/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 2.5.11/25  
को पेश हो।

सीडर

31/11/25 पत्रावली पेश। वकीलवादी उप  
वाले मामला वही हु। दिनांक  
2/11/25 को पेश हो।

सीडर  
3/12/25

02/10/25

पत्रावली पेश। वकीलवादी उप  
वाले साक्ष्यवादी दिनांक 17-02-25  
को पेश हो।

सीडर  
5/10/25

17/10/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 12/5/25  
को पेश हो।

सीडर

20/8/25

इकजई तारीख से पेश  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 06/10/25  
को पेश हो।

सीडर

06/10/25

पत्रावली पेश। वकीलवादी व  
स्वयंवादी अनुपस्थित रहे। बार-बार  
आवाज दिनांक जाने के बाद भी वकील  
वादी व स्वयंवादी अनुपस्थित  
रहे। अतः पत्रावली अदम हाजिरी  
एवं अदम फीकी में खासिज की  
जाती है। पत्रावली नम्बर से कमरेपर  
बाद प्रति जमा हो।

सीडर  
5/10/25

हुयम या कार्यवाही मय इमिशियरस जज  
सुरेन्द्र मनाय श्रीणा

02  
138

सम्बर व तारीख अहकाम  
की इस हुयम की तामील  
में जारी हुए।

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

15.12.2021 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तरिम धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अपाथीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजी खाता संख्या 127 खसरा हाल आराजी नम्बर 286/589/0-19 है। ताके याम राजखोली तहसील राजगढ़ जिला अलवर जिस पर प्रार्थी/वादी के हिरसा 1/3 कोहमी हार पर बटवारा किया गया है। जिसमें अपने उपयोग-उपार्थीगण के लिये एक पुख्ता निर्माणाधीन मकान बन रहा है। जिस पर अपार्थी संख्या 01 लगायत 05 एवं अपार्थी संख्या 06 के कार्यालय से विधुत लाईट हेतु विधुत कनेक्शन के लिये अपार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 ने आवेदन किया हुआ है। जिसमें प्रार्थी/वादी के नाजायज तरीके से तंग वो परेशान करने की नियत से और जन हानी की नियत रखते हुये अपार्थी/वादी के निर्माणाधीन मकान के पास ना कोई विधुत पोल गाडे और ना ही निर्माणाधीन मकान के उपर होकर के कोई विधुत लाईन न डाले ऐसी स्थिती में मौके की यथारिथती बनाये रखें और पाबन्द किया जावें। की अन्य किरसी प्रकार से प्रार्थी/वादी को तंग परेशान न करें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुये अपार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 03.02.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि अपार्थीगण 01 लगायत 05 प्रार्थी की खातेदारी एवं निवर्तमान कब्जेशुदा आराजी पर मजाहमत व रुकावट उत्पन्न नही करे तथा अपार्थी संख्या 06 युक्तियुक्त विकल्पो को आकलित करते हुये नियमानुसार विधुत कनेक्शन जारी करें। इस बाबत् अपार्थी संख्या 01 लगायत 05 व 06 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 03.02.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी  
राजगढ़ (अलवर)

03.02.22: अभिप्रायक मण्डल ने कार्य  
सम्पन्न किया है। दिनांक 25.02.22  
को पेश हो

S.D.O.

25/2/22 वकील प्रार्थी उप. अपार्थी। से  
मुखाबिक एक्टरका कार्यवाही वाले बरस  
हेतु दि. 01/4/22 को पेश है

500

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
जो इ...

20/8/25 हुकम इ शरीख के पेश  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 06/10/25  
को पेश हो।



06/10/25

पत्रावली पेश। मूलवाद अदम  
हाजिरी एवं अदम पैरवी के  
तहत खारिज किया जा चुका  
है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT  
Act की कार्यवाही बंद की जाती  
है। पत्रावली नम्बर से कम लेकर  
मूलवाद के साथ सौंपन हो।

  
\$100